



सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र
(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण संख्या: R/GON/08797/2024-2025

पत्रावली संख्या: F-18032

दिनांक: 2004-2005

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि जनक लली तिवारी शिक्षण संस्थान, ग्राम परसापुर, पोस्ट नवाबगंज, तहसील तरबगंज, जिला गोण्डा, उ०प्र०, गोंडा, 271303 को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 64/2004-05 दिनांक- 22/04/2004 को दिनांक-22/04/2024 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है।

1300 रुपये की नवीनीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।



Digitally Signed By
(LAXMI KANT)

A5E595EE5BDBF28BEE169EBD4DFA0A93ABC6F3D3

Date: 03/10/2024 3:23:06 PM, Location: Ayodhya.

जारी करने का दिनांक-03/10/2024

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।

:: नोट ::

यह नवीनीकरण प्रमाणपत्र संस्था के हित में निर्गत किया जा रहा है जो संस्था के अन्यथा विधिपूर्वक पंजीकृत रहने की दशा में ही मान्य हैं। इस नवीनीकरण प्रमाण पत्र से किसी आवेदक, प्रबंध समिति अथवा किसी अन्य संबद्ध/असम्बद्ध व्यक्तिके किसी दावे, अधिकार, अनुतोष अथवा मान्यता की पुष्टि नहीं होती है तथा इन प्रयोजनों हेतु इस नवीनीकरण प्रमाण पत्र का प्रयोग किसी न्यायालय में मान्य नहीं है। इस प्रमाण पत्र को केवल संस्था हित में निर्गत किया जा रहा है तथा किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में यह पठनीय नहीं होगा।